2019 में हर तरफ मोदी

लेखक - सुहास पालशीकर, संजय कुमार (लोकनीति कार्यक्रम के सह-निदेशक), संदीप शास्त्री (जैन विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के प्रो-वाइस चांसलर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

30 मई, 2019

"प्रतिस्पर्धी राजनीति के क्षेत्र में गहरे बदलाव हो रहे हैं।"

आम चुनाव 2014 और 2019, दोनों में भाजपा ने जो हासिल किया है वह संसदीय बहुमत हासिल करने से कहीं अधिक है। हाल ही में द हिंदू समाचार पत्र में छपे एक आलेख में 2014 के फैसले की व्याख्या करते हुए, लोकनीति टीम ने इसे एक नए चरण के रूप में वर्णित किया था। स्पष्ट रूप से एकल-पक्षीय प्रभुत्व का युग काफी हद तक स्थिर हो गया है। दूसरा, राष्ट्रीय दलों और राज्य दलों के बीच संबंध पर फिर से कार्य करने की आवश्यकता है। भाजपा को मिले अतिरिक्त वोट कांग्रेस के बजाय राज्य दलों की कीमत पर हैं। तीसरा, नतीजों ने कांग्रेस को अव्यवस्थित कर दिया है।

हो सकता है कि इसने इस बार कुछ और सीटें जोड़ ली हों, लेकिन राज्य में नुकसान के बाद राज्य व्यावहारिक रूप से पार्टी को निष्प्रभावी बना देता है। इस चुनाव की एक असाधारण विशेषता यह भी थी कि सब कुछ शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समाप्त हुआ। संक्षेप में, 2019 का चुनाव 2014 के चुनाव का एक पुनरावृत्ति था जहाँ प्रतिस्पर्धी राजनीति के क्षेत्र में और राजनीतिक प्रक्रिया में गहरे बदलाव हुए।

राजव्यवस्था का मंथन

राजसत्ता के इस मंथन के तीन आयाम हैं। पहला, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल गया है। यह चुनाव कांग्रेस द्वारा एक मजबूत लड़ाई की उपस्थिति के साथ शुरू हुआ जो भविष्य में कुछ हद तक द्विध्रुवीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर सकता था। कांग्रेस विफल रही, लेकिन गैर-भाजपा गठबंधनों का भी सीमित कर्षण था, सिवाय केरल में जहां गठबंधन ने काम करना जारी रखा है और भाजपा के प्रवेश पर भी रोक लगा दी। तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन ने काम किया, लेकिन द्रविड़ असाधारणता के कारण।

मंथन का यह पहलू संशोधित टिकट विभाजन के बढ़ते उदाहरणों में स्पष्ट है। ओडिशा के मतदाताओं ने विधानसभा या लोकसभा चुनावों के लिए कमोबेश इसी तरह मतदान किया, लेकिन पिछले साल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट देने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मतदाता भाजपा के पक्ष में चले गए। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन इस बार मतदाता अधिक प्रतिस्पर्धी साझा परिणाम की तरफ लौट आए। इस प्रकार, जिन राज्यों में लोकसभा के चुनावों के साथ-साथ राज्यों की विधायिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, मतदाता अचानक एक पार्टी से दूसरे की ओर भाग रहे हैं।

इस राजनीतिक मंथन की दूसरी विशेषता पार्टियों के सामाजिक आधारों से संबंधित है। सामाजिक जनसांख्यिकी के आधार पर परिणामों का आकलन करने या समझाने के पारंपरिक तरीकों ने कम से कम अस्थायी रूप से अपनी प्रमुखता खो दिया है। इसने वैकल्पिक सामाजिक गठजोड़ों के निर्माण की राजनीतिक रणनीतियों को भी अप्रभावी बना दिया है, जिसे हम उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन की सीमित सफलता से समझ सकते है।

एक बहु-पक्षीय प्रतियोगिता में भाजपा को 50% मतदान प्राप्त होना उल्लेखनीय है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि पार्टी को नब्बे के दशक में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के प्रदर्शन को ठीक से समझने के लिए कई और विश्लेषणात्मक चश्मे की आवश्यकता होगी। इसके संबंध में लेखक कुछ प्रवृत्तियों की ओर इशारा करता है। पहला, भाजपा का भौगोलिक विस्तार उल्लेखनीय रहा है। दूसरा, कई गैर-भाजपा मतदाताओं को नेतृत्व कारक के कारण भाजपा को वोट देने के लिए राजी किया गया था। तीसरा, पार्टी के समर्थन को एक राष्ट्रवादी कथा के निर्माण के माध्यम से समेकित किया गया, जो शायद बालाकोट मुद्दे के बावजूद बहुत दृश्यमान नहीं हुआ।

लेकिन इन सबसे ऊपर, भाजपा अब एक ऐसी नई पार्टी बन गयी है, जिससे कांग्रेस का अस्थिर होना मुमकिन लगने लगा है। हालाँकि इस पार्टी में गैर-हिंदू वर्गों के लिए जगह नहीं है। जैसा कि धार्मिक विभाजन दर्शाता है कि भाजपा का उदय संभवतः

अभूतपूर्व धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ है। हिंदू और मुस्लिम का भाजपा और कांग्रेस के आस-पास ध्रुवीकरण होना एक गंभीर समस्या को दर्शाता है। भाजपा दलितों और आदिवासियों के महत्वपूर्ण समर्थन से उपजे पिछड़े हिंदू समुदायों की पार्टी बनने की राह पर है। लेकिन इन तथ्यों के बावजूद सबसे बड़ी कहानी हिंदू समेकन में है, जो 2014 और 2019 के परिणामों के माध्यम से हासिल की गई है।

बचने का मोह

एक व्यापक हिंदू गठबंधन बनाने में भाजपा की सफलता हमें 2019 के परिणाम द्वारा आगे लाए गए मंथन की तीसरी विशेषता पर ले जाती है: जनादेश कैसे पढ़ें। इन मुद्दों पर हमारे डेटा के अनुसार, अभियान ने कई मुद्दों को उजागार किया है, जिनके बारे में लोगों का मानना है कि यह महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व को लेकर बहस जारी है लेकिन भाजपा को यह ध्यान में रखना होगा कि मतदाता विकास के साथ पार्टी की पहचान करते हैं। इसके अलावा, मतदाताओं के बीच प्रमुख प्रवृत्ति पिछले पांच वर्षों में काफी स्थिर रही है। 2019के नेशनल इलेक्शन स्टडी से पता चलता है कि लगभग आधे मतदाताओं का कथन है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा प्रबल होनी चाहिए।

GS World टीम...

भारत के राजनीतिक दल

परिचय

- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दल का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारों का गठन उस राजनीतिक दल द्वारा ही किया जाता है, जो चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है।
- लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल केन्द्र में सरकार बनाता है तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला राज्यों में सरकार का गठन करता है।
- भारत में वास्तविक अर्थ में राजनीतिक दल का गठन 1885 में हुआ, जब कांग्रेस अस्तित्त्व में आयी। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान कई राजनीतिक दलों का गठन हुआ, लेकिन उनका अस्तित्त्व न के बराबर रहा।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी करीब 1967 तक सम्पूर्ण भारत में कांग्रेस का ही प्रभुत्त्व रहा, लेकिन 1967 में कांग्रेस को अनेक राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तथा 1977 में पाँच दलों के विलय से गठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को केन्द्र से भी सत्ता से हटा दिया, लेकिन जनता पार्टी में आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस पुन: केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई।
- वी.पी. सिंह द्वारा कांग्रेसी प्रधानमंत्री पर लगाये गये आरोप के कारण कांग्रेस दिसम्बर, 1989 से जून, 1991 तक भी केन्द्र में सत्तारूढ़ नहीं रही लेकिन जून, 1991 से मई 1996 तक पुन: केन्द्र में सत्तारूढ़ रही।

प्रकार

- औपचारिक रूप से किसी भी संस्था या संघ को भारतीय निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत करवाने की कोई जरुरत नही होती है, लेकिन यदि कोई संस्था या संघ जो कि स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (राजनैतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में) के भाग IV-क के उपबंधों का लाभ उठाने का इच्छुक है, से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत कराए।
- भारत में तीन तरह के राजनीतिक दल हैं।
  1. राष्ट्रीय दल
  2. राज्य पक्ष
  3. भारत में क्षेत्रीय दल
- अप्रैल 2019 तक भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7 है, राज्य के मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 35 है और भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या लगभग 329 हैं।

राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता पाने के लिए शर्तें

- एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:
  1. यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें (2014 के चुनाव के अनुसार 11 सीटें) जीतती है। या
  2. यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधान सभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है। या
  3. यदि कोई पार्टी चार या चार से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है।

राज्य स्तरीय दल की मान्यता पाने के लिए शर्तें

- एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल (State Party) का दर्जा तभी प्रदान किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम किसी एक शर्त को पूरा करती है:
  1. यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम-से-कम 3% सीट या कम-से-कम 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो प्राप्त करती है। या
  2. यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीट प्राप्त करती है। या
  3. यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और साथ ही कम से कम 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है। या
  4. एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है, लेकिन वह उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों में से 8% मत प्राप्त करती है, तो उस राज्य में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों में शामिल हैं:

1. यदि कोई पार्टी कम-से-कम 4 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 4% सीटें जीतती है।
2. यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है।
3. यदि कोई पार्टी छह या छह से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अप्रैल 2019 तक भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है।
2. औपचारिक रूप से किसी भी संस्था या संघ को भारतीय निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q. The conditions required for obtaining a recognized party as national party include:

1. If a party wins 4 seats of Lok Sabha by including at least 4 different states.
2. If a party receives 6 votes in four states in the Lok Sabha or assembly elections in addition to 4 Lok Sabha seats.
3. If a party is recognized as a regional party in six or more than six states.

Which of the above is / is the statement true?

(a) Only 1
(b) Only 3
(c) 2 and 3
(d) 1, 2 and 3

Q. Consider the following statements:

1. As of April 2019, the number of national parties in India is 6.
2. Formally no institution or association is required to register with the Election Commission of India.

Which of the above is / is the statement true?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1, nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के परिणाम में अभूतपूर्व धार्मिक ध्रुवीकरण देखा जा सकता है। क्या यह ध्रुवीकरण भविष्य में एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Unprecedented religious polarization can be seen as a result of the recently concluded Lok Sabha election. Can this polarization take the form of a serious problem in the future? Discuss. (250 Words)

नोट : 29 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c) होगा।